प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण
नई दिल्ली।

पत्रांकः– 81 /प्रशा0अधि0–स्थापना–2022 दिनांक 17 अप्रैल, 2023

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल वाद संख्या 898/2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल वाद संख्या 898/2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुपालन में निवेदन करना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा भूमि खसरा संख्या 68 ग्राम अजबपुर कलां जनपद देहरादून में स्थित पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में उपचारात्मक कार्यवाही नियमानुसार कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को भेजने हेतु निर्देश दिये गये थे।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 20.02.2023 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 49/प्रशा0अधि0–स्थापना–2022 दिनांक 27 फरवरी, 2023 के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट देहरादून की ओर से नामित उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड देहरादून के प्रतिनिधि से प्रकरण में जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल वाद संख्या 898/2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या 49/प्रशा0अधि0–स्थापना–2022 दिनांक 27 फरवरी, 2023 के अनुपालन में उप जिलाधिकारी (सदर) एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से भूमि खसरा संख्या 68 ग्राम अजबपुर कलां जनपद देहरादून में स्थित पेट्रोल पम्प का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसकी निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की गईः–

प्रकरण भूमि खसरा संख्या 68 ग्राम अजबपुर कला, जनपद देहरादून में स्थापित पेट्रोल पम्प की अद्यतन स्थिति निम्नवत हैः–

1. मै0 निरंजन फिलिंग स्टेशन (प्रो0 भानु प्रताप चौधरी पुत्र श्री विशाल सिंह चौधरी) को इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन से दिनांक 30.07.2019 को LOI (Letter of Intent) प्राप्त है।
2. पेट्रोल पम्प द्वारा कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून से पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या 161/परि0 2019–20 दिनांक 11.10.2019 के माध्यम से प्राप्त की गयी है।
3. पेट्रोल पम्प को LOI तथा कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून से अनापत्ति प्रमाण पत्र 07.01.2020 से पूर्व प्राप्त है। जिस कारण उल्लेखित पेट्रोल पम्प पर Siting Criteria में निहित प्राविधान पेट्रोल पम्प पर लागू नहीं होते है।
4. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–610/वी0–2/2020/82(अ0)/19 दिनांक 13.08.2020 के माध्यम से पेट्रोल पम्प को 18 मीटर मार्ग की चौड़ाई के स्थान पर विद्यमान पहुंच मार्ग 13.71 मीटर की चौड़ाई महायोजना मार्ग की चौड़ाई 24 मीटर के सापेक्ष 10.29 मीटर कम है। अतः पहुंच मार्ग में 10.29 मीटर का आधा अर्थात 5.15 मीटर की शिथिलता प्रदान की जाती है।
5. पेट्रोल पम्प द्वारा Fire Extinguish हेतु 05-Bucket, 07- Fire Extinguisher and 02- Electric Fire Extinguisher की स्थापना Fire Safety Equipment के रूप में की गयी है तथा पेट्रोल पम्प द्वारा अग्निशमन विभाग से अनुमति भी प्राप्त की गयी है।
6. Onside/Offside Crises Management Plan के सम्बन्ध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। यद्यपि पेट्रोल पम्प द्वारा Fire Extinguish एवं Emergency Stop Switch की स्थापना की गयी है।

Scanned with OKEN Scanner

Manufacture Storage and Import of Hazardous Chemical (MSIHC) Rules 1989 के अनुपालन हेतु पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक स्टोरेज टैंक की सफाई आदि का कार्य नहीं कराया गया है। पेट्रोल पम्प विगत 03–04 वर्ष से संचालित है।

7. पेट्रोल पम्प द्वारा पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) Retail Outlet की अनुमति प्राप्त की गयी है।
8. इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उक्त रिटेल आउटलेट के संचालन में किसी प्रकार के पर्यावरणीय मानदण्डो का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून एवं उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून की संयुक्त जांच आख्या 13.04.2023 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 68 ग्राम अजबपुर कलां जनपद देहरादून में स्थित पेट्रोल पम्प के संचालन में किसी प्रकार पर्यावरणीय मानदण्डो का उल्लंघन नही किया जा रहा है तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाईन दिनांक 07.01.2020 उक्त रिटेल आउटलेट पर प्रभावी नहीं है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकारण में योजित मूल वाद संख्या 898/2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के कम में आख्या सादर प्रेषित।

(डा0 शिव कुमार बरनवाल)
अपर जिलाधिकारी (प्र0),
देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्र0)
देहरादून ।

संख्या 319 /एस0पी0ए0–2022–23 दिनांक 13 अप्रैल 2023

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मे योजित मूल आवेदन संख 898/2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुकम में संयुक्त निरीक्षण हेतु विभागीय प्रतिनिधि नामित करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महोदय के कार्यालय पत्र संख्या 77/प्रशा0 अधि0 – स्थापना–2022 दिनांक 10 अप्रैल 2023 (अनुस्मारक–4) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मे योजित मूल आवेदन संख 898/2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एंव अधोहस्ताक्षरी को भूमि खाता सं0 768 भूमि खसरा नं0 68 क मि० रकबा 0.3321 हैक्टेयर पर स्थापित पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल रूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः– यथापरि।

भवदीय,

(नरेश चन्द्र दुर्गापाल)
उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

माo राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–898/2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या

उपरोक्त विषयक माo राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–898/2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के बिन्दु संख्या 1 मे "*Mr. Amit Agarwal, Shimal By Road, Dehradun. The Grievance is that there is a Petrol Pump installed in the residential area in violation in siting criteria and causing other violence of environmental norms and loss causing damage to environmental but no action has been taken by the Authorities in the matter. It is said that the said petrol pump is located at Khasra no. 68, village Ajabpurkala Mata Mandir Road, Dehradun, Uttarakhand which is a residential area. On both sides of petrol pump requisite backs has not been left; Fire extinguishers have not been installed; Fire safety measure0000000000000000000s have been violated; clearance from Fire Department has not been obtained and the requirement of 18 meter width road is also not complied with.*" के अनुक्रम में निम्न अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन किया गया।

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. उत्तराखण्डप्रदूषणनियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

प्रकरण के सम्बन्ध में गठित समिति एवं निम्न अधिकारियों/सदस्यों द्वारा प्रकरण भूमि खसरा संख्या–68, ग्राम अजबपुरकला, जनपद देहरादून में स्थापित पेट्रोल पम्प की शिकायत के सबंध में संयुक्त समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 20.03.2023 को किया गया, जिसमें अधिकारियों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार रहाः–

1. श्री नरेश चन्द्र दुर्गापाल, उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून।
2. श्री एस0एस0 चौहान, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

प्रकरण भूमि खसरा संख्या–68, ग्राम अजबपुरकला. जनपद देहरादून में स्थापित पेट्रोलपम्प की अद्यतन स्थिति निम्नवतहै–

1. मैo निरंजन फिलिंग स्टेशन (प्रो0 भानु प्रताप चौधरी पुत्र श्री विशाल सिंह चौधरी) को इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन से दिनांक 30.07.2019 को LOI (Letter of Intent) प्राप्त है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–1)

2. पेट्रोल पम्प द्वारा कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून से पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र संख्या–161/परि02019–20 दिनांक 11.10.2019 के माध्यम से प्राप्त की गयी है। (संलग्नक–2)

3- पेट्रोल पम्प को LOI तथा कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून से अनापत्ति प्रमाण पत्र 07.01.2020 से पूर्व प्राप्त है। जिस कारण उल्लेखित पेट्रोल पम्प पर Siting Criteria मे निहित प्राविधान पेट्रोल पम्प पर लागू नही होते है।

4. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–610/वी0–2/2020/82(अ0)/19 दिनांक 13.08.2020 के माध्यम से पेट्रोल पम्प को 18 मीटर मार्ग की चौड़ाई के स्थान पर विद्यमान पहुंच मार्ग 13.71

Scanned with OKEN Scanner

मीटर की चौड़ाई महायोजना मार्ग की चौड़ाई 24 मीटर के सापेक्ष 10.29 मीटर कम है। अतः पहुंच मार्ग में 10.29 मीटर का आधा अर्थात् 5.15 मीटर की शिथिलता प्रदान की जाती है। (संलग्नक–3)

5. पेट्रोल पम्प द्वारा Fire Extinguisher हेतु 05-Bucket, 07-Fire Extinguisher and 02-Electric Fire Extinguisher की स्थापना Fire Safety Equipment के रूप में की गयी है तथा पेट्रोल पम्प द्वारा अग्निशमन विभाग से अनुमति भी प्राप्त की गयी है। (संलग्नक–4)

6. Onside/Offside Crises Management Plan के सम्बन्ध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। यद्यपि पेट्रोल पम्प द्वारा Fire Extinguisher एवं Emergency Stop Switch की स्थापना की गयी है। Manufacture Storage and Import of Hazardous Chemical (MSIHC) Rules 1989 के अनुपालन हेतु पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक स्टोरेज टैंक की सफाई आदि का कार्य नहीं कराया गया है। पेट्रोल पम्प विगत 03–04 वर्ष से संचालित है।

7. पेट्रोल पम्प द्वारा पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) Retail Outlet की अनुमति प्राप्त की गयीहै। (संलग्नक–5)

8. इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उक्त रिटेल आउटलेट के संचालन में किसी प्रकार के पर्यावरणीय मानदण्डों का उल्लघंन नही किया जा रहा है।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत।

(एस0एस0 चौहान)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

(नरेश चन्द्र दुर्गापाल)
उपजिलाधिकारी (सदर)
देहरादून

प्रेषक,

तहसीलदार (सदर)
देहरादून।

सेवा में,

उप जिलाधिकारी
देहरादून।

पत्र सं0 713/आर0सी0/2023 दिनांक 10.04.2023

विषय मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 898/2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुक्रम में संयुक्त निरीक्षण हेतु विभागीय प्रतिनिधि नामित करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 196/एसपीए/2023–24 दिनांक 04.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 898/2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुक्रम में संयुक्त निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में रा0उ0नि0/रा0नि0 से स्थलीय निरीक्षण कर आख्या प्राप्त की गयी। रा0उ0नि0/रा0नि0 द्वारा अपनी जांच आख्या में उल्लेख किया गया है कि मौजा अजबपुरकलां में स्थित पेट्रोल पम्प भूमि खसरा नं0 68 पर मौके /स्थल पर उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी व पेट्रोल पम्प निरंजन फिलींग स्टेशन माता मंदिर रोड अजबपुर कलां की संचालक भानूप्रताप चौधरी पुत्र यशपाल सिंह भी उपस्थित मिले। उपलब्ध दस्तावेज भूमि खाता सं0 768 भूमि खसरा नं0 68 क मि0 रकबा 0.3321 हैक्टेयर पर खातेदार भानू प्रताप सिंह पुत्र यशपाल सिंह नि0 ग्राम का नाम संयुक्त रूप से सहखातेदार दर्ज श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर दर्ज राजस्व अभिलेख है। उक्त पेट्रोल पम्प उपरोक्त भूमि खसरा नं0 68 पर संचालित है। उक्त पेट्रोल पम्प के चारों ओर घनी रिहायशी आवासीय आबादी व लगते हुए मुख्य मार्ग मन्दिर अजबपुर मार्ग पर दुकानें आदि स्थित है जो एम0डी0ए0/सम्बन्धित विभाग से सम्बन्धित है अन्य पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित सुरक्षा आदि विषय पुलिस विभाग /फायर /पी0डब्लू डी0/ पूर्ति विभाग आदि से सम्बन्धित है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 898/2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुक्रम में रा0उ0नि0/रा0नि0 की जांच आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्न –यथोपरि (मूल आख्या)

भवदीय,
10/4/2023
तहसीलदार (सदर)
देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

महोदय, संलग्न पत्र कार्यालय श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय सदर – देहरादून से प्राप्त पत्र सं. 176/रा.पे.स./2023-24 दिनांक 04/3/2023 विषय- मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल वाद सं. 898/2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित पर आख्या इस प्रकार है कि पत्र पर उल्लिखित विषय ग्राम – अजबपुरकलां में स्थित पैट्रोल पम्प भूमि खसरा नं० 68 पर मौके/स्थल पर श्रीमान तहसीलदार महोदय के साथ उपस्थित हुए मौके उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी व पैट्रोल पम्प निरंजन फिलींग स्टेशन माता मंदिर रोड अजबपुर कलां की संचालक श्री भानु प्रताप चौधरी S/o यशपाल सिंह भी उपस्थित मिले।

यह कि उपलब्ध डाटाबेस भूमि खाता सं. 768 भूमि खसरा नं० 68 क मि० रकबा 0.3340 हैक्टेयर पर खातेदार भानु प्रताप सिंह पुत्र यशपाल सिंह नि० ग्राम का नाम संयुक्त रूप से सहखातेदार दर्ज अभी। के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज राजस्व अभिलेख है। उक्त पैट्रोल पम्प उपरोक्त भूमि खसरा नं० 68 पर संचालित है।

यह कि उक्त पैट्रोल पम्प के चारों ओर घनी रिहायशी आवासीय आबादी व लगते हुए मुख्य मार्ग मंदिर अजबपुरकलां पर दुकानें आदि स्थित हैं जो MDDA/सम्बन्धित विभाग से सम्बन्धित हैं अन्य पैट्रोल पम्प से सम्बन्धित सुरक्षा आदि विषय पुलिस विभाग/फायर P.W.D, D.S.O (पूर्ति विभाग) आदि से सम्बन्धित है।

अतः आख्या नियमानुसार कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्न – खाता खतौनी नकल।
उपस्थिति पत्र संलग्न है
दि- 20/3/2023

कि० 25/3/2023
[illegible]
अजबपुरकलां

[illegible]
25/3/2023
राजस्व निरीक्षक
(मजरा)

RC
पत्रालेख
[illegible]

उपस्थिति पत्र

आज दिनांक 20/3/2023 को ग्राम अजबपुरकलां मे तहसील सदर देहरादून में कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक 38—/प्रशा० सहा०-न्यायालय 2022 दिनांक 13 मार्च 2023 आदेश के अनुपालन में विनय - मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल वाद सं. 898/2022 अजीत अकुवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य के पारित आदेश दिनांक 20/02/2023 के अनुपालन में उपस्थित हुआ।

स्थल पर उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड अधिकारी/कर्मचारी पैट्रोल पम्प स्वामी श्री भानु प्रताप s/o स्व० प्रेमपाल सिंह जोगीवाला केसर चौक अजबपुरकलां (पैट्रोल पम्प रिटेल फिलिंग स्टेशन) उपस्थित रहे जिनके हस्ताक्षर निम्नवत हैं।

रा० क० नि०
20/3/2023
अजबपुरकलां (अति सदर)

दीपेन्द्र भट्ट
(UKPCB)

धीरेन्द्र सिंह
(UKPCB)

(Bhanu Pratap Chaudhary)
20/03/2023

प्रवि-18-3-23 इम्प्लेन्ट

कार्यालय उप जिलाधिकारी (सदर), देहरादून।

E – Mail ID-sdm.deh@gmail.com -Phone -0135-2625511

संख्या 196 /एसपीए/2023–24 देहरादून दिनांकः 4 मार्च, 2023

933
R.I.M

विषयः माo राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मे योजित मूल आवेदन संख्या 898/2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुकम में संयुक्त निरीक्षण हेतु विभागीय प्रतिनिधि नामित करने के सम्बंध में ।

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी (प्र0)
क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई0–115 नेहरू कालोनी, जिला देहरादून।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर जिलाधिकारी प्रशासन जिला देहरादून महोदय के कार्यालय पत्र संख्या 49/प्रशा0अधि0–स्थापना–2022 दिनांक 27. फरवरी, 2023 मे दिये गये निर्देशों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मे योजित मूल आवेदन संख्या 898/2022 अमित अग्रवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 20.02.2023 में भूमि खसरा संख्या 68 ग्राम अजबपुरकला जनपद देहरादून मे स्थित पैट्रोल पम्प के सम्बंध में शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज शिकायत के सम्बंध में जिला मजिस्ट्रेट देहरादून एंव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को संयुक्त जॉच कर उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं तथा दो माह के भीतर की गयी कार्यवाही के सम्बंध में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली को आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में है तथा जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के आदेश दिनांक 27.02.2023 के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट देहरादून की ओर से उक्त संयुक्त जॉच हेतु अधोहस्ताक्षरी को नामित करते हुये **दिनांक 10.03.2023 से पूर्व प्रत्येक दशा में सुस्पष्ट जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश** दिये गये हैं।

अतः उक्त प्रकरण के सयुंक्त निरीक्षण हेतु दिनांक 6.3.23 समय 2.00 बजे निर्धारित किया जाता है अतः आप स्वंय अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपरोक्त निर्धारित तिथि को यथासमय यथास्थान उपस्थित रहने का कष्ट करें ताकि जिला मजिस्ट्रेट देहरादून महोदया के निर्देशों का अनुपालन ससमय सुनिश्चित कराया जा सके।

(नरेश चन्द्र दुर्गापाल)
उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून।

प्रतिलिपिः– तहसीलदार देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे भी उरोक्त नियत तिथि को यथासमय यथास्थान पर क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक के साथ, मय राजस्व अभिलेखो के उपस्थित रहने का कष्ट करें।

723

RI/RSI
अनुपालन करें।
7/6/3

उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

फसली वर्ष : 1417-1422 भाग : 1

पांक : 740925 ग्राम का नाम / परगना : अजबपुर कला(पछवादून) तहसील : देहरादून जनपद : देहरादून

भूमि जो सक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधारो के अधिकारमे हो

खाता खतौनी क्रम संख्या ---- 1 ---	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ---- 2 ----	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ---- 3 ----	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ---- 4 ----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ---- 5 ----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान ---- 6 ----	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद ---- 7-12 ----	टिप्पणी ---- 13 ----
00768	जसबीर सिह/दलीप सिह/नि॰ ग्राम अमोलक/दलीप सिह/नि॰ ग्राम रविन्द्र कौर/निरंजन सिह/नि॰ ग्राम भानु प्रताप सिह/यशपाल सिह/नि॰ ग्राम नरेन्द्र कौर/यशपाल सिह/नि॰ ग्राम	1375 फ.से	68क मि	0.3321	17.50		
			1	0.3321			

कुल गाटे: एक कुल क्षेत्रफल: शून्य दशमलव तीन तीन दो एक कुल भू-राजस्व: एक सात दशमलव पाँच शून्य

Data Digitally Signed by : KARAN SINGH

सक्षम अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : देहरादून जनपद : देहरादून

दिनांक एवं समय : 25-03-2023 12:43:23 PM

यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

Scanned with OKEN Scanner